

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 118/2022 राजस्व अपील

1. सन्जू पुत्र बनेसिंह

2. शिम्भू पुत्र बनेसिंह

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम राणोली तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 24.5.2022 मुकदमा नं. 105/2022 उनवानी सरकार बनाम सन्जू वगै. अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम)

उपस्थिति : श्री रविन्द्र शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।


:- निर्णय :-


दिनांक: 27.4.2026

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का राणोली ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अपीलांट्स ने ग्राम राणोली की राजकीय भूमि आराजी खसरा नम्बर 157 रकबा 0.40 है० पर संवत् 2079 में काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अपीलांट्स को कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलांट को धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दोष सिद्ध किया जाकर 90 दिन के सिविल कारावास की सजा व 50 गुना शास्ति से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 24.5.2022 को पारित फरमाया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। तत्पश्चात् अधिवक्ता अपीलांट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विधान एवं न्याय की सामान्य प्रक्रियाओं के विपरीत होने से प्रथमदृष्टया निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही प्रकार से विवेचन नहीं किया। प्रथमदृष्टया अपीलांट्स के विरुद्ध किसी प्रकार के जुर्म की कोई साक्ष्य नहीं होने के बावजूद भी अपीलांट्स को दोषी मानते हुए दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का कोई मौका नहीं दिया गया। मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर बिना किसी प्रकार का विवेचन किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट्स को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया है। अपीलांट द्वारा प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 157 स्थित ग्राम राणोली तहसील बहरावण्डा के सम्बन्ध में एक स्पेशल अपील रिट नम्बर 22/2023 माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में की गयी है जिसमें दिनांक 06.2.2024 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित फरमाये गये हैं एवं उक्त अपील माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमावें।




अति. जिला कलक्टर
दौसा


जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट्स ने संवत् 2079 में ग्राम राणोली स्थित भूमि खसरा नंबर 157 रकबा 0.40 है० किस्म चरागाह पर मकान व कब्जा कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का राणोली द्वारा करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को विधिवत नोटिस जारी किये गये हैं। अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए। अपीलांट्स अतिक्रमी द्वारा संवत् 2078 में भी अतिक्रमण किया गया था। अपीलांट द्वारा संवत् 2079 में पुनः अतिक्रमण कर लिया। जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलांट्स अतिक्रमी के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा व लगान का 50 गुना शास्ति से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 24.5.2022 पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया तथा पटवारी हल्का से जिरह का भी अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 157 स्थित ग्राम राणोली तहसील बहरावण्डा के सम्बन्ध में स्पेशल अपील रिट नम्बर 22/2023 माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में की गयी है जिसमें दिनांक 06.2.2024 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित फरमाये गये हैं एवं उक्त अपील माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होना अवगत कराया गया है।


उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण तहसीलदार सिकराय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि ग्राम राणोली स्थित खसरा नम्बर 157 के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान पीठ जयपुर में विचाराधीन डी.बी.स्पेशल अपील(रिट) नम्बर 22/2023 बाबूलाल व अन्य बनाम आम जनता ग्राम पंचायत राणोली तहसील बहरावण्डा व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय का अवलोकन कर तदनुसार नियमोचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट अभिलेखागार की जावे।



निर्णय आज दिनांक 27.4.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अरविन्द शर्मा)

अति० जिला कलक्टर, दौसा


(अरविन्द शर्मा)

अति० जिला कलक्टर, दौसा